

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 31/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
कैनफिन होम्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय- एस-14 से एस-21, द्वितीय तल, गीजगढ़ टॉवर, हवा सड़क,  
सिविल लाईन्स, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मुराद बाबू खान पुत्र मुन्वर खान,
2. टम्मी बानो पत्नी मुराद बाबू खान,  
प्लॉट नं. 3993, चौकड़ी तोपखानादेश, तोपखाना का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर  
एवं मकान नं. 6, कालवाड़ हाऊस, तोपखाना का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।
3. मुराद खान पुत्र अब्दुल जब्बार,  
पता:- प्लॉट नं. 3993, चौकड़ी तोपखानादेश, तोपखाना का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement  
of Security Interest Act, 2002

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर

उपस्थित :-

1. श्री विनोद कुमार चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक 22.02.2024


संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मुराद बाबू खान पुत्र मुन्वर खान के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 3993, चौकड़ी तोपखानादेश, तोपखाना का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर, क्षेत्रफल 47.48 वर्गमीटर को बन्धक रख कर दिनांक 18.02.2017 को राशि 20,00,000/- रुपये, दिनांक 20.04.2019 को राशि 13,00,000/- रुपये, दिनांक 04.12.2019 को राशि 09,00,000/- रुपये कुल राशि 42,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.10.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर



3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 42,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 55,42,835/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 03.10.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी मुराद बाबू खान पुत्र मुनव्वर खान के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 3993, चौकड़ी तोपखानादेश, तोपखाना का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर, क्षेत्रफल 47.48 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
- आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
- आदेश आज दिनांक 22.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
 (प्रकाश राजपुरोहित)  
 जिला माजिस्ट्रेट  
 (कलक्टर) जयपुर